

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या- 1/2012-13

विज्ञापन संख्या: 1/विज्ञापन/भर्ती/प.आ.'क'अनु./2012-13

दिनांक: 05-06-2012

- निम्नलिखित पद की भर्ती हेतु निर्धारित ऑनलाइन आवेदन-पत्र (On-line Application Form) पर आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विभाग द्वारा विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जाती है तो आयोग द्वारा नियमानुसार उन पदों में कमी या बढ़ोतरी करते हुए भर्ती की कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन करना होगा:-
विशेष नोट:- (1) On line Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।
(2) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यक्षीन परिवर्तनीय होगी।
- प्रवेश-पत्र- आयोग द्वारा समस्त ऑनलाइन आवेदनों में वेब-साइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश-पत्र जारी किए जाएंगे और आयोग द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश-पत्र नहीं भेजा जाएगा। वेब-साइट पर प्रवेश-पत्र जारी किए जाने की सूचना परीक्षा की तिथि तय होने के उपरान्त समाचार पत्रों एवं वेब-साइट के माध्यम से शीघ्र जारी की जाएगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश-पत्र वेब-साइट से प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना अभ्यर्थी के ई-मेल आई.डी. (e-mail ID) एवं मोबाइल नंबर पर भी भेजी जा सकती है।
- आवेदन प्रक्रिया-आवेदन On line Application Form में लिए जाएंगे, जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रुपये 40/- (रुपये 30/- आवेदन-पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) की राशि सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना चाहता है, तो वह ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर केवल परीक्षा शुल्क जमा कराकर आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> से स्वयं आवेदन भर सकता है। इस स्थिति में उसे वहां परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु मात्र रुपये 10/- ही सेवा शुल्क देना होगा। ऑन-लाइन आवेदन-पत्रों को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब-साइट पर उपलब्ध है। कियोस्क द्वारा आवेदन भरवाने पर आवेदक को रुपये 30/- की रसीद पृथक से कटवानी होगी। हाथ से भरे गए आवेदन-पत्र किसी भी रूप में आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

सहायक निदेशक (Assistant Director), संस्कृत शिक्षा विभाग के एक पद की संस्कृत शिक्षा सेवा नियम, 1977 के अन्तर्गत भर्ती। पद स्थाई है। पद की स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)							
			सामान्य वर्ग		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
1	सहायक निदेशक (Assistant Director)	1	1	-	-	-	-	-	-	-

शैक्षणिक योग्यता :-

(1) प्रथम श्रेणी में आचार्य उपाधि साथ शास्त्री और/या आचार्य कक्षाओं को पढ़ाने का पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव या

द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि साथ पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव (जो कि शास्त्री कक्षाओं से नीचे का ना हो) जिसमें से कम से कम तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव आचार्य कक्षाओं को पढ़ाने का हो लेकिन आचार्य कक्षाओं को पढ़ाने का अध्यापन अनुभव की तीन वर्ष की शर्त उस आवेदक के मामले में लागू नहीं होगी जो कि मान्यता प्राप्त अनुसंधान उपाधि धारक होगा।

(2) बी.एड. या इसके समकक्ष।

सामान्य नोट:- यदि कोई व्यक्ति आचार्य और एम.ए. संस्कृत दोनों उपाधि धारण करता है तो उसे शास्त्री एवं आचार्य कक्षाओं को पढ़ाने हेतु योग्य समझा जाएगा यदि उसने इन दोनों में से कोई एक द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की हो तो अध्यापन अनुभव वही रहेगा।

(3) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट :- प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

आयु:- दिनांक 01.07.2012 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार:-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

स्पष्टीकरण : आयोग द्वारा यह पद पूर्व में वर्ष 1991 में विज्ञापित किए गए थे तत्पश्चात् अब यह पद विज्ञापित किया जा रहा है। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.07.2012 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) राज्य सरकार आयोग से परामर्श लेकर अपवादीय मामलों में 5 वर्ष की छूट दे सकती है।

(3) भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने के पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति हेतु पात्र था, के लिए अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी के मामले में जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिए जाएंगे।

(6) कैडेट इन्स्ट्रक्टर को उनकी वास्तविक आयु में से उतनी अवधि को घटाए जाने की छूट दी जाएगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणामित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

- (7) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेन्टिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (8) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद हेतु आयु सीमा में थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय आयु सीमा के अन्तर्गत ही समझा जाएगा चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करते समय इस प्रकार पात्र थे।
- (9) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट :- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-बेण्ड सं. 3 (15600-39100), ग्रेड पे सं. 17 (रुपये 6600/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा। **उच्चतर प्रारम्भिक वेतन :** नहीं। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार।

कार्य : अध्यापन। **परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार। **मुख्यालय:** राजस्थान राज्य में स्थित किसी राजकीय संस्कृत महाविद्यालयों में। **पेंशन:-** दिनांक 1-1-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

ग्रुप अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षता सलाहकार (ग्रेड-II) (Group Instructor/ Surveyor/Assistant Apprenticeship Advisor (Gr.-II)), प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिये राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम, 1975 के अन्तर्गत भर्ती। पद अस्थाई - स्थाई होने की संभावना है। पदों की आरक्षण सहित स्थिति निम्नानुसार है :-

क. सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य पद			आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)						भूतपूर्व सैनिक
						अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग		
			सामान्य	महिला	विधवा	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	
2	ग्रुप अनुदेशक/सर्वेयर/सहायक शिक्षता सलाहकार (ग्रेड-II)	30	12	4	1	3	1	2	-	5	1	3
								1 (for T.S.P.)				

नोट:-

(1) राजस्थान की अनुसूचित जाति के चार पद तथा अनुसूचित जनजाति के दो आरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पूर्व के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22-6-2004 के अनुसरण में सामान्य प्रक्रिया से (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न अभ्यर्थियों) भरा जाएगा। इन पदों का विज्ञापित वर्ष ही चयन वर्ष माना जाएगा।

(2) राजस्थान की अनुसूचित जनजाति के टी.एस.पी. का एक पद जो कि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् का है, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इस आरक्षित रिक्ति को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।

(3) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का नवीनतम जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, तो ही आरक्षण का लाभ देय होगा अन्यथा नहीं। पति के नाम व आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(4) महिलाओं हेतु आरक्षित पदों में से नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य सामान्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जाएगा।

(5) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।

(6) भूतपूर्व सैनिकों पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से हैं अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

नोट :

(1) भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों के विरुद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(2) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

योग्यताएं :-

(1) **(क) शैक्षणिक**

किसी केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और गणित के वैकल्पिक विषयों के साथ सैकण्डरी

या

किसी केन्द्रीय/राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10+2 स्कीम के अधीन सैकण्डरी।

(ख) **तकनीकी**

किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में दो/तीन वर्षीय डिप्लोमा। या अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी शाखा में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र।

या

अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी शाखा में संबंधित ट्रेड में राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र (National Apprenticeship Certificate)।

(ग) **अनुभव :-** उपरोक्त अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित ट्रेड में किसी उद्योग या किसी सरकारी विभाग में किसी तकनीकी पद पर अथवा किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में कार्य करने का अनुभव:-

अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा- पांच वर्ष।

राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र/राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र- सात वर्ष।

नोट :-प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

(2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आयु :- दिनांक 01-01-2013 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

स्पष्टीकरण :- आयोग द्वारा यह पद वर्ष 1997 में विज्ञापित किए गए थे तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2013 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर लिखी अधिकतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट राज्य सरकार से अनुमोदन होने पर विशेष कटेगरी या कटेगरीज के पदों अथवा व्यक्तिगत मामलों में अपवादीय परिस्थितियों में होगी।

(3) अधिकतम आयु सीमा में :-

(क) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(ख) सामान्य वर्ग की महिला आवेदकों के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी।

(ग) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामले में 10 की वर्ष की छूट होगी।

(4) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(5) अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें निरन्तर दो से अधिक अवसर नहीं दिए जाएंगे।

(7) कैंडेट इन्स्ट्रक्टर को अधिकतम आयु सीमा में उतने ही काल की छूट दी जाएगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी और यदि परिणामिक आयु अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।

(8) कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीबार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(9) राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेन्टिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(10) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

(11) रिलीज्ड इमर्जेंसी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमीशण्ड ग्रहण करते यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जाएगा।

(12) सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य पाकिस्तान से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(13) सामान्य वर्ग की विधवा महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।

(स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा)

(14) राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के तहत भूतपूर्व सैनिकों को 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस/वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 14 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान :-रनिंग पे बेण्ड संख्या-2 (9300-34800), ग्रेड पे सं. 13 (रु. 4200/-)

ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

अग्रिम वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। **कार्य :** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कार्यरत अनुदेशकों का पर्यवेक्षण/शिक्षता सम्बन्धित कार्य। **परिवीक्षा काल :** (प्रोवेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं : नियमानुसार। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार। **मुख्यालय :** प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत राजस्थान में स्थित किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/कार्यालय में।

पेंशन:- दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

उपाचार्य/अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (Vice Principal/ Suprintendent ITI), प्राविधिक शिक्षा विभाग के पदों की राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण सेवा नियम, 1975 के अन्तर्गत भर्ती। समस्त पद स्थाई। पदों की आरक्षणसहित स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों	आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)	नि:शक्तजन
------	-----------	------------	--------------------------------------	-----------

			अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग				
			सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला			
3	उपाचार्य/अधीक्षक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	12	5	1	2	—	2	—	2	—	1 (OL/OA)

नोट:-

- (1) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों में से क्रमशः एक-एक पद बैकलॉग के पद हैं, जोकि दिनांक 10.10.2002 के पश्चात् के हैं।
- (2) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी आरक्षित पदों, जो कि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगा और इस आरक्षित रिक्ति को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाते।
- (3) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
- (4) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:- किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**

(5) निःशक्त व्यक्तियों के लिए :-

(अ) राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार उपरोक्त दर्शाई गई अक्षमताओं की प्रकृति वाले अभ्यर्थियों को निम्न प्रकार से अभिव्यक्त किया जाता है :-

Locomotor Disability & cerebral palsy (L.D. & C.P.)

O.A. - One arm affected (R or L)

(a) impaired reach (b) weakness of grip (c) at axic

O.L. - One leg affected (R or L)

(ब) निःशक्तजन के लिए दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।

(स) उपरोक्त दर्शाए गए निःशक्तजन के आरक्षित पदों के लिए पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों को राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के अनुसार भरा जाएगा। निःशक्तजन के उक्त नियम के अनुसार उपरोक्त निःशक्त व्यक्तियों की अनुपलब्धता के कारण या अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नहीं जा सकता हो वहाँ ऐसी रिक्ति को 3 भर्ती वर्षों तक अग्रणीत किया जाएगा।

(द) निःशक्तजन आवेदक On line Application Form में यथास्थान पर अपने वर्ग एवं निःशक्तता की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।

(य) ऐसे आवेदक जो निःशक्तता की श्रेणी में आते हैं, अपनी निःशक्तता के सम्बन्ध में राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011 के नियमानुसार राजस्थान राज्य के किसी राजकीय अस्पताल के सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का स्पष्ट प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। निःशक्तजन हेतु चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण-पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता का होने पर ही आवेदक को निःशक्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।

शैक्षणिक योग्यताएँ:-

- (1) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सिविल/यांत्रिकी/विद्युत अभियांत्रिकी में द्वितीय श्रेणी में उपाधि या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।
- (2) एक वर्ष का व्यावसायिक (Professional) अनुभव।
नोट :-प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।
- (3) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

आयु:- दिनांक 01.01.2013 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 37 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

(1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-

“यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गयी थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।”

स्पष्टीकरण :- आयोग द्वारा यह पद वर्ष 2008 में विज्ञापित किए गए थे तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2013 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

(2) ऊपर उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :-

(क)- राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष; तथा

(ख)- सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(3) भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबस्टेंटिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।

(4) अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।

(5) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जावेगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे, तो उन्हें दो अवसर दिये जाएंगे।

- (6)कैडेट इन्स्ट्रक्टर को उनकी वास्तविक आयु में से उतनी अवधि को घटाए जाने की छूट दी जाएगी जितनी सेवा उन्होंने एन. सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
- (7)राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाई (सबस्टेंटिव) रूप से सेवारत व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (8)रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जावेगा।
- (9) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (10)राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011के अनुसार इन पदों के सामने विज्ञापन में दर्शाई गई श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को सेवा नियमों के अधीन पहले से ही विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित रूप से छूट दी जाएगी :-
- (क) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (ख) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 13 वर्ष की छूट दी जाएगी।
- (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 वर्ष की छूट दी जाएगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 10 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान :- रनिंग पे-बेण्ड सं. 3-(15600-39100), ग्रेड पे सं. 15 (₹. 5400/-)

"ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्य भार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, सम्बन्धित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलता पूर्वक पूरी करने की दिनांक से ही अनुज्ञात किया जाएगा। "

प्रारम्भिक वेतन वृद्धि/उच्च वेतन : नहीं। **मुख्यालय :** राजस्थान में स्थित किसी भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार। **कार्य :** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रशिक्षण की पूर्ण जिम्मेदारी एवं कार्यालयाध्यक्ष की पूर्ण जिम्मेदारी। **पेंशन :-** दिनांक 01-01-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

मूल्यांकन अधिकारी (Evaluation Officer), अभियोजना विभाग के पदों की राजस्थान मूल्यांकन सेवा नियम, 1979 के अन्तर्गत भर्ती। समस्त पद स्थाई। पदों की आरक्षण सहित स्थिति निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	सामान्य वर्ग		आरक्षित पदों की संख्या (राजस्थान के)					
			सामान्य	महिला	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		पिछड़ा वर्ग	
					सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
4	मूल्यांकन अधिकारी (Evaluation Officer)	7	4	1	1	-	-	-	1	-

नोट:-

- (1)राजस्थान की अनुसूचित जातिकेआरक्षित पदों, जोकि दिनांक 10-10-2002 के पश्चात् के हैं, हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को किन्हीं भी परिस्थितियों में सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जाएगाऔर इस आरक्षित रिक्ति को तब तक अग्रणीत किया जाएगा जब तक यथास्थिति अनुसूचित जाति का पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता।
 - (2) राजस्थान के पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसारसामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
 - (3) महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण क्षैतिज(Horizontal)रूप से प्रवर्गानुसार (category wise)है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी हैं, आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा।
- स्पष्टीकरण:-**किसी वर्ग (सामान्य वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नॉन-क्रीमीलेयर का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।**

शैक्षणिक योग्यताएँ:-

- (1) a) Second Class Post-graduate degree in Economics/Sociology/Statistics/Mathematics/Commerce/Public Administration from an Indian or foreign University. Candidates with a Post-graduate degree in Mathematics or Statistics or Public Administration should have had Economics or Sociology as one of the subjects in degree course.
 - b) A certificate (RS-CIT course conducted by Rajasthan Knowledge corporation Limited) awarded by Vardhaman Mahaveer Open University, Kota or any other certificate awarded by a competent authority declared equivalent to above certificate by Department of Information, Technology and Communication in Government of Rajasthan.
 - c) One year experience of handling important statistical records on the post of Statistical/ Research Assistant or on an equivalent post in a Government Department or University or Research Organization and one year's experience of conducting socio-economic sample surveys, designing of schedules supervising the field work and drafting memoranda and reports.
- (2) Working Knowledge of Hindi Written in Devnagri Script & knowledge of Rajasthani Culture.

नोट :- प्रार्थी को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् निर्धारित अनुभव आवेदन-पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होना आवश्यक है अन्यथा अपात्र।

आयु:-दिनांक 01.01.2013 को 21वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए और 35 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं करनी चाहिए लेकिन अधिकतम आयु सीमा में :-

- (1) राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार :-
"यदि कोई अभ्यर्थी सीधी भर्ती के लिए, ऐसे किसी वर्ष में जिसमें ऐसी कोई भर्ती नहीं की गई थी, अपनी आयु के संबंध में हकदार था तो उसे ठीक आगामी भर्ती के लिए पात्र समझा जाएगा यदि वह 3 वर्ष से अधिक के द्वारा अधिकायु का/की नहीं हुआ/हुई है।"

स्पष्टीकरण :- आयोग द्वारा यह पद वर्ष 1996 में विज्ञापित किए गए थे तत्पश्चात् इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार जो अभ्यर्थी दिनांक 01.01.2013 को अधिकायु के होते हैं, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देय होगी।

- (2) उल्लिखित उच्चतम आयु सीमा में :-
 - (क) राजस्थान की अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों को पाँच वर्ष छूट देय होगी।
 - (ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पाँच वर्ष छूट देय होगी।
- (3) भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सबस्टेन्टिव) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
- (4) अन्य भूतपूर्व कैदी, जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति की योग्य था, के मामले में कारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
- (5) रिलीज्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड ऑफिसर्स/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड ऑफिसर्स सेना में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार पात्र थे तो सेना से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों, पात्र समझा जाएगा।
- (6) इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति यदि प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में ही समझा जाएगा, चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जाएंगे।
- (7) कैडेट इन्स्ट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. में की होगी बशर्ते परिणमित आयु अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
- (8) राजस्थान राज्य सरकार के कारोबार में संस्थाई(Substantive) रूप से कार्यरतव्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (9) पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्य कलापों के सम्बन्ध में संस्थाई रूप से सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

नोट:- उपरोक्त पैरा के प्रावधान संख्या 2 से 9 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाएगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा।

वेतनमान:-रनिंग पे-बेण्ड सं. 2 (9300-34800), ग्रेड पे सं. 13 (रु. 4200/-)

'ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किए जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा और पद का विज्ञापन में अन्यत्र यथादर्शित वेतनमान, संबंधित भर्ती नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जाएगा।

उच्चतर प्रारम्भिक वेतन : नहीं। **महंगाई भत्ता :** नियमानुसार। **कार्य :** विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित कार्य।

मुख्यालय : राजस्थान में कहीं पर भी। **परिवीक्षा काल (प्रोबेशन)/प्रशिक्षण/अन्य सुविधाएं :** नियमानुसार।

पेंशन:-दिनांक 1-1-2004 से नये भर्ती/नियुक्त होने वाले नये राज्य कर्मचारियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

4. अन्तिम दिनांक :- आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 30.06.2012 को रात्रि 12-00 बजे तक (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा) आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑन-लाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑन-लाइन आवेदन करें।

5. संवीक्षा परीक्षा का स्थान, माह एवं योजना :-

निर्धारित अनिवार्य योग्यताएँ न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। जब किसी विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होगी और आयोग के लिए इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करना सुविधाजनक या संभव नहीं होगा तो आयोग विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं और अनुभव से उच्च योग्यताओं और अनुभव के आधार पर अथवा संवीक्षा परीक्षा द्वारा साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों की संख्या यथोचित सीमा तक कम कर सकता है।

4. परीक्षा की योजना, स्थान एवं माह :- संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार (Objective Type)की होगी और अजमेर में आयोजित की जाएगी, जिसकी तिथि आवेदन की अंतिम तिथि के उपरांत यथाशीघ्र रखी जाएगी। परीक्षा तिथि की सूचना भी शीघ्र जारी की जाएगी। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें। यदि आवेदन पत्रों की संख्या अधिक होती है तो परीक्षा केन्द्र का निर्धारण अजमेर जिले से बाहर अन्य जिलों में भी किया जा सकता है। अतः आवेदक किसी एक परीक्षा केन्द्र के जिले का नाम भरें। संवीक्षा परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्र का आवंटन अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन कर सकता है।

संवीक्षा परीक्षा वस्तुपरक प्रकार(Objective Type)की होगी। पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें।

7. परीक्षा शुल्क:-आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र

(C.S.C.)के माध्यम से आयोग को भेजें:-

- (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु -रुपये 350/-
- (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु-रुपये 250/-
- (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक हेतु-रुपये 150/-

नोट :-1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 40/- (रु. 30/- आवेदन पत्र भरने हेतु + रुपये 10/- परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप में सभी को देने होंगे।

2. ऑनलाइन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन-पत्र का प्रारूप आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाइन आवेदन से पूर्व हाथ से भर लें। यह प्रारूप ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र पर निःशुल्क उपलब्ध होगा।

3. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई हैं।

4. आवेदकों की सुविधा के लिए राज्य के समस्त ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र(C.S.C.)की सूची आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। राजस्थान राज्य से बाहर के अभ्यर्थी जहाँ ई-मित्र कियोस्क तथा जन सुविधा केन्द्र(C.S.C.) नहीं हैं वे आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध सूची से उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। उनकी सुविधा के लिए उनके दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध हैं।

8. आवेदन कैसे करें :-अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट :- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के अभ्यर्थी तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक

सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी के रूप में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

9.अनापत्ति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में :- सभी आवेदक, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, को अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर परीक्षा में सम्मिलित होने की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किए जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिए जाने हेतु सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरन्त प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है।

10.नियुक्ति के लिए अयोग्यता :-

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो,, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार सन्तुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
3. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :-

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती :

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की, जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-13/2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया होगा।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के प्रयोजन हेतु "दहेज" से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 में दिया गया है। (1961 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 28)

6. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किए गए ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन-पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

11.अनुचित साधनों की रोकथाम :-परीक्षार्थी को आयोग/केन्द्राधीक्षक/अभिजागर/आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिए गए निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपयोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध आयोग/केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं आयोग द्वारा निर्धारित "Punishment for insolent behavior/dissorderly conduct/Using/ attempting to use unfair means during the course of examination"के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना आयोग की वेब साईट पर दी गई है।

12.श्रुतलेखक (Scribe)की सुविधा :- सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न-उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे। केवल राजस्थान निःशक्तजन व्यक्तियों का (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 2011में वर्णित नेत्रहीन व ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ हैं, उन्हें परीक्षा के पूर्व आयोग कार्यालय को प्रार्थना-पत्र वांछित प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा देय होगी। श्रुतलेखक को वीक्षक, केन्द्राधीक्षक व अभ्यर्थी को आयोग द्वारा जारी निर्देशानुसार ही कार्य करना होगा।

13.कृपया ध्यान दें :-

- i **On line Application Form** आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जाएगा। आवेदक आवेदन-पत्र प्रेषित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं संबंधित कॉलम में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं। समस्त प्रविष्टियाँ पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में आयोग द्वारा आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा **On line Application Form** में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुए परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।
- ii आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि **On line Application Form** भरने से पूर्व आयोग के विज्ञापन एवं **On line Application Form** भरने के निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।
- iii आयोग कार्यालय द्वारा **On line Application Form** में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही आवेदक की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका **On line Application Form** अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। **On line Application Form** में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- iv विज्ञापित पदों के विरुद्ध अधिक संख्या में प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर उन पदों की संवीक्षा परीक्षा आयोग द्वारा आयोजित की जाएगी। संवीक्षा परीक्षा के उपरांत सफल आवेदकों को आयोग द्वारा विस्तृत आवेदन-पत्र भेजकर भरवाया जाएगा। आवेदकों से विस्तृत आवेदन-पत्र मय आवश्यक दस्तावेज के प्राप्त होने पर उनकी नियमानुसार परिनिरीक्षा किए जाने के पश्चात पात्र अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

14.प्रमाण-पत्रों का सत्यापन :- आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन) का लाभ निम्न स्थिति में ही देय होगा जिसके प्रमाण में आवेदक को प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ (जो कि संवीक्षा परीक्षा में सफल होने पर अथवा सीधे साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले आवेदकों से भरवाए जाएंगे) भेजना आवश्यक है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि :-

- (अ) जाति प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर दिया हुआ है।
- (ब) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के प्रमाण-पत्र में निवास स्थान एवं क्रीमीलेयर/नॉन क्रीमीलेयर की प्रविष्टियां सही-सही एवं पूर्ण भरी गई हैं।

- (स) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/निःशक्तजन का प्रमाण-पत्र **On line Application Form** प्राप्ति की अन्तिम दिनांक के पूर्व का जारी होना चाहिए अन्यथा अन्तिम दिनांक के बाद जारी हुए प्रमाण-पत्रों के अभ्यर्थियों को वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जाएगा।
- (द) राजस्थान राज्य के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को **On line Application Form** पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में आवेदन करना होगा।
- (य) पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग का नवीनतम प्रमाण-पत्र जो नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर क्रमशः दिनांक 10.10.08 एवं 25.08.09 के पश्चात् जारी किया हुआ हो। पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग की विवाहित महिला अभ्यर्थी को नियमानुसार पिता/माता की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित शुल्क के अभाव में ऐसे आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। पति की आय के आधार पर जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
- (र) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थी को भी उनके पिता के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र विस्तृत आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उसे इस वर्ग का लाभ देय नहीं होगा। पति के नाम से जारी जाति प्रमाण-पत्र मान्य नहीं है।
- (ल) निःशक्त जन का चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र जिसमें निःशक्त जन की चिह्नित श्रेणी का अवश्य उल्लेख हो जो कि **On line Application Form** की प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक का जारी किया हुआ होना चाहिए।

नोट :- आयोग द्वारा आवेदकों को संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में अनन्तिम (**Provisional**)रूप से प्रवेश दिया जाएगा। संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार में केवल मात्र उसे प्रवेश-पत्र/साक्षात्कार-पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन-पत्र में की गयी प्रविष्टियाँ आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं। आयोग द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इन पदों हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी।

आयोग की वेबसाइट:-

उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट <http://www.rpsc.rajasthan.gov.in> या rpsconline.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी एवं संवीक्षा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष 0145-5151200 एवं 5151240 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

विशेष टिप्पणी :-

- (1) परीक्षार्थी परीक्षा के समय प्रश्न पत्र में रही किसी भी त्रुटि अथवा किसी प्रकार की शिकायत के सम्बन्ध में परीक्षा समाप्ति के पश्चात् 72 घण्टे में (तीन दिवस) के भीतर अपना लिखित अभ्यावेदन/शिकायत स्पीड पोस्ट के माध्यम से सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को प्रस्तुत कर दें। नियत समय में प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/शिकायत पर आयोग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जावेगी। तीन दिवस के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर आयोग द्वारा किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा।
- (2) कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आएँ। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए आवश्यक जैसे पेन, पेंसिल, प्रवेश-पत्र या आयोग द्वारा निर्देशित सामग्री ही कक्ष में ले जा सकता है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाइल व अन्य अनावश्यक वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक/संचालक व राजस्थान लोक सेवा आयोग किसी की भी नहीं होगी।
- (3) जिस परिसर के भीतर भर्ती परीक्षण आयोजित किया जा रहा है, वहां मोबाइल फोन, पेजर्स या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित उम्मीदवार के खिलाफ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।
- (4) उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे भर्ती परीक्षण स्थल पर मोबाइल फोन/पेजर्स सहित प्रतिबंधित वस्तुएं साथ नहीं लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।
- (5) इन पदों से संबंधित समस्त सूचनाएं आवेदकों को विज्ञापन में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
- (6) आयोग को आवेदन-पत्र भेजने हेतु एवं अन्य पत्र व्यवहार करते समय निम्नलिखित पते का उल्लेख करें :-
सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर पिन कोड नं. 305026.

(डॉ. के.के. पाठक)

सचिव